

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

उद्यान विभाग

Email Id:- npnbgarden@gmail.com, sudhirratre2003@gmail.com

क./उद्यान/न.नि./2021/ 311

भिलाई,दिनांक 8/8/2021

// रूचि की अभिव्यक्ति-तृतीय //

रूचि की अभिव्यक्ति के तहत नगर पालिक निगम, भिलाई में विकसित उद्यानों को 5 वर्षों के लिए रखरखाव के साथ स्वयं के रोजगार/व्यवसाय करने हेतु महिला स्व-सहायता समूह, फूल विक्रेताओ, शासकीय-अर्द्धशासकीय संस्थाओं जो (EOI) में उल्लेखित शर्तों की अर्हता रखते हो से (रूचि की अभिव्यक्ति) अंतर्गत ऑफर दिनांक 23/8/21 को सायं 5.30 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में वित्तीय ऑफर आमंत्रित किया जाता है। इस कार्य के लिए धरोहर राशि रु. 20,000/- मात्र की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का कार्यपालन अभियंता (उद्यान) नगर पालिक निगम, भिलाई के संयुक्त नाम पर एफ.डी.आर. तथा रु. 10,000/- मात्र का डी.डी. एवं पेनकार्ड की छायाप्रति, पी.डब्ल्यू.डी का पंजीयन एवं अन्य समस्त दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र लिफाफा "अ" में, तकनीकी ऑफर लिफाफा "ब" में, ऑफर दरें लिफाफा "स" में तीनों लिफाफा एक अन्य लिफाफा "द" में डालकर कार्य का नाम, प्रेषक का नाम सहित कार्यपालन अभियंता, (उद्यान विभाग, जोन-03 मदर टेरेसा नगर पानी टंकी सुपेला) नगर पालिक निगम, भिलाई पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा, अन्य माध्यम मान्य नहीं होगा। ऑफर दिनांक 24/8/21 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। अन्य जानकारी नियम एवं शर्तें नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com व संचनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in एवं चीप की वेबसाइट eproc.cgstate.gov.in से देखी जा सकती है।

टीप:- निविदाकर्ता को लिफाफा के उपर उद्यान का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

उद्यानों के रखरखाव के माध्यम से स्वयं के रोजगार का सुनहरा अवसर

नगर पालिक निगम, भिलाई में विकसित उद्यानों को 5 वर्षों के लिए (नियम शर्तें लागू) रखरखाव के साथ स्वयं के रोजगार/व्यवसाय करने का एक सुनहरा मौका नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निगम क्षेत्र में निवासरत् आम नागरिकों, महिला स्व-सहायता समूहों, फूल विक्रेताओं, शासकीय-अर्द्धशासकीय संस्थानों को प्रदान करना चाहती है (जिसमें महिला स्व-सहायता समूह को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी)। जिसके अंतर्गत इच्छुक आवेदक उद्यान में (अन्दर या बाहर जैसा भी निगम द्वारा आदेशित) स्वयं के व्यय से निगम द्वारा जारी नक्शा अनुसार 8 फुट X 10 फुट आकार के लोहे की गुमटी अस्थायी स्थापित कर प्रतिबंधित व्यवसाय को छोड़ अपना व्यवसाय कर सकते हैं। साथ ही नियमानुसार प्रतिबंधित विज्ञापन छोड़कर गुमटी के ऊपर ग्लोसाइन बोर्ड लगाकर विज्ञापन से लाभ कमा सकते हैं। इस कार्य के लिये निगम में पूर्व विकसित उद्यानों (संलग्न सूची अनुसार) का रख-रखाव, प्रतिदिन पानी, सिंचाई, जंगली झाड़ियों, खरपतवार को निकालने, साफ-सफाई एवं छोटे प्रकार के टूट फूट का मरम्मत का कार्य चौकीदारी, खेलकूद सामग्री का मरम्मत निःशुल्क करना होगा। इस हेतु निगम पृथक से कोई भुगतान नहीं करेगी। इसके आवेदन के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित किया गया है:-

1. दिनांक 23/8/22 को 5-30 बजे तक लिखित प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से दर आमंत्रण किया जाता है। विस्तृत नियम-शर्तें एवं उद्यानों की सूची कार्यालय, उद्यान से प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्यालय नगर पालिक निगम की वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com व संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in एवं चीप की वेबसाइट www.eproc.cgstate.gov.in में देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।
2. दरदाता को तीन लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रु. 20,000.00 का एजेंसी एवं कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई के संयुक्त नाम से एफ.डी.आर. (किसी भी राष्ट्रीय बैंक) एवं राशि रु. 1000.00 मात्र का किसी भी राष्ट्रीय बैंक का डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से हो तथा टेक्निकल बीड (आवेदक का रजिस्ट्रेशन, शपथ पत्र, व्यक्ति का पहचान पत्र व वर्तमान निवास पता संबंधी दस्तवेज, पेनकार्ड (निजी व्यक्ति के लिये अनिवार्य नहीं) एवं हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी का अधिकार पत्र। लिफाफा 'ब' में वित्तीय बिड (दर) तथा लिफाफा अ, ब को एक बड़ा लिफाफा 'स' में भरकर प्रस्तुत करना होगा। सभी लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में कार्य एवं उद्यान का नाम एवं अ, ब, स, का उल्लेख होगा। अमानत राशि में शासन द्वारा छूट प्राप्त का नियम लागू रहेगा।
3. प्रस्ताव स्वीकृत की सूचना पश्चात् 7 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की स्थिति में कार्यादेश के पश्चात् 1 सप्ताह के अंदर संचालन, संधारण/रखरखाव का कार्य प्रारंभ करना होगा।

उद्यान रखरखाव के लिये सामान्य नियम-शर्तों:-


1. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है, कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित उद्यान का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें।
2. प्रत्येक उद्यान के लिये पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
3. गुमटी हेतु विद्युत व्यवस्था एवं विद्युत देयक भुगतान एजेंसी (दरदाता) को करना होगा। निगम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। उद्यान का ही विद्युत देयक निगम भुगतान करेगा।
4. उद्यान के रखरखाव कार्य लगातार 5 वर्षों के लिए आमंत्रित है। प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा, तत्पश्चात सफलता पूर्वक कार्य संपादन करने पर क्रमशः अधिकतम चार बार एक-एक वर्ष के लिए पुनः अनुबंध कर नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुबंध नवीनीकरण करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित होगा।
5. चूंकि उद्यान अनुबंधकर्ता को देखरेख एवं रखरखाव के लिये सौंपा जाएगा। अतः अनुबंध अवधि में उद्यान एवं उद्यान में स्थापित सम्पत्ति की हानि हेतु क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा वहन की जावेगी तथा इस आशय का शपथ पत्र निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के समय देना होगा।
6. उद्यान में सभी के लिये निःशुल्क प्रवेश रहेगा। समय निर्धारण नगर पालिक निगम भिलाई करेगी।
7. अनुबंध अवधि के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकायों तथा नगर पालिक निगम द्वारा प्रचलित एवं समय-समय पर लागू की जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालना करना होगा।
8. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा किया गया उद्यानों में व्यय किसी भी स्थिति में आधिपत्य के अधिकार के आधार के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। आम गुमटी एवं उसमें लगाये गये अनुशांगिक सामग्रियां वापसी योग्य होगा।
9. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा नगर निगम विज्ञापन नीति एवं शर्तों के अनुसार विज्ञापन का प्रदर्शन किया जा सकेगा तथा गुमटी के ऊपर ग्लोसाइन बोर्ड लगाकर विज्ञापन किसी भी एजेंसी को अनुबंधित समय सीमा के अंदर दे सकेगा, जिसकी सूचना नगर पालिक निगम को अनिवार्य रूप से देना होगा। शासन द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। विज्ञापन में अश्लील स्लोगन न हो व न ही किसी भी समाज व संस्था पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता हो, न ही किसी को ठेस पहुँचाता हो, न ही किसी राजनितिक दल का विज्ञापन प्रदर्शित करता हो और न ही आपत्तिजनक हो। अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिये एजेंसी स्वयं जवाबदार होगा।




10. श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा तथा उनके श्रमिकों, कर्मकारों व कर्मचारियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट श्रम कानून का पालन व जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। लगाये गये श्रमिकों का भुगतान शासन के नियमों के अंतर्गत निम्नतम श्रमिक दर अनुसार करना होगा।
11. कार्य पर लगाये गये पारिवारिक सदस्य/श्रमिकों का पहचान पत्र अनुबंधकर्ता एजेंसी को देना होगा।
12. उद्यान का नवीनतम फोटोग्राफ प्रत्येक माह उद्यान विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिससे उद्यान की स्थिति का आंकलन कर अनुबंध निरंतरता पर उचित निर्णय लिया जा सके।
13. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा रखे गये कर्मचारियों के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिए अनुबंधकर्ता एजेंसी जवाबदार होगा।
14. प्रभारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा। उद्यानों के निरीक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर उद्यानों का निरीक्षण किया जा सकेगा व निरीक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा।
15. उच्च अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उद्यान में श्रमिक एवं उद्यान का कार्य संतोष जनक नहीं होने व नियम शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर दण्ड स्वरूप प्रत्येक चूक पर अधिकतम राशि रू. 1000.00 रू की दण्ड आरोपित की जा सकेगी।
16. पौधों को सुरक्षित रखने एवं आवश्यकता अनुरूप सिंचाई करना, पौधों को जीवित अवस्था में रखने का दायित्व अनुबंधकर्ता एजेंसी का होगा। उद्यान की साफ सफाई एवं उद्यान को व्यवस्थित रखना होगा। उद्यान का रखरखाव कार्य यदि संतोष जनक या सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नहीं पाये जाने पर अथवा निम्न शर्तों के उल्लंघन पर एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
17. उद्यान में कचरा निपटान के लिये खाद निर्माण हेतु Pit का निर्माण करना होगा। गुमटी के आसपास सुखा-गीला कचरा के लिये निर्धारित अनुसार व्यवस्था करना होगा।
18. उद्यान के आकार का 10 प्रतिशत हिस्से का उपयोग नर्सरी के उपयोग में कर सकेगा। यह ध्यान रखा जायेगा की उद्यान में भ्रमण करने वाले लोगों को वहीं पर किसी भी प्रकार का अवरोध न हों।

(28)

19. अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा कार्य के संबंध में कोई भी दावा व वाद आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को स्वीकार्य नहीं होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र दुर्ग रहेगा।
20. उद्यान में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


कार्यपालक अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई


उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई


सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

अनुबंध दिनांक—

एजेंसी/अनुबंधकर्ता का हस्ताक्षर
नाम/पता/सील

उद्यानों की सूची

कं.	जोन क्रमांक	कुल उद्यान	स्थल का नाम
1	जोन कं. 01	41	वार्ड कं. 01 उत्कल वृदावन उद्यान
2	जोन कं. 01		वार्ड कं. 01 खम्हरिया में उद्यान (अमृत मिशन)
3	जोन कं. 01		वार्ड कं. 02 नेहरू नगर माडल टाउन महाकालेश्वर उद्यान
4	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर पश्चिम ब्लॉक 49 के सामने
5	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर पश्चिम शिवाजी पार्क उद्यान।
6	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर पश्चिम गांधी पार्क उद्यान।
7	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 ने.न.पश्चिम मलेनियम पार्क उद्यान।
8	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 ने.न.पश्चिम महाराणा प्रताप उद्यान।
9	जोन कं. 01		वार्ड कं. 02 माडल टाउन पंचमुखी उद्यान
10	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर पश्चिम अशोक उद्यान
11	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर पश्चिम मिनीमाता उद्यान
12	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर पश्चिम एकता पार्क
13	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर पूर्व खूबचंद बघेल उद्यान
14	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर पूर्व गणेश उद्यान
15	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर पूर्व लोकमान्य तिलक उद्यान
16	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 ने.न.पूर्व शिव मंदिर एल.आई.जी. उद्यान
17	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर पूर्व मधुकामनी बाल उद्यान (अमृत मिशन)
18	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर भारत माता उद्यान
19	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यान
20	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 ने.न. ब्लॉक 81 ,82 के मध्य उद्यान
21	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 ने.न. एस.सी.श्रीवास्तव घर के सामने उ.
22	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर रसने आवास स्थित उद्यान
23	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 नेहरू नगर समता उद्यान
24	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम बाल उद्यान (गुलमोहर)
25	जोन कं. 01		वार्ड क्र. 03 नेहरू नगर पूर्व शास्त्री उद्यान का निर्माण कार्य।
26	जोन कं. 01		वार्ड कं. 03 बख्शी उद्यान नेहरू नगर पूर्व उद्यान
27	जोन कं. 01		वार्ड क्र. 03 प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम कृष्णा उद्यान
28	जोन कं. 01		वार्ड क्र 03 नेहरू नगर पश्चिम सी.एस.ई.बी. आफिस
29	जोन कं. 01		वार्ड कं. 04 प्रियदर्शनी परिसर पूर्व बाल उद्यान
30	जोन कं. 01		वार्ड कं. 04 प्रियदर्शनी परिसर पू. चौपाटी बाल उ.
31	जोन कं. 01		वार्ड कं. 04 संजय नगर तालाब स्थित उद्यान
32	जोन कं. 01		वार्ड कं. 04 कृष्णा नगर राधाकृष्ण बाल उद्यान
33	जोन कं. 01		वार्ड कं. 04 राधिका नगर ब्लॉक 20/6 ,20/7 के मध्य उद्यान
34	जोन कं. 01		वार्ड कं. 04 राधिका नगर ब्लॉक 30/1, 30/2 के मध्य उद्यान
35	जोन कं. 01		वार्ड कं. 04 राधिका नगर ब्लॉक 44/02, 44/4 के मध्य उद्यान
36	जोन कं. 01		वार्ड कं. 04 राधिका नगर मंदिर चौक गणेश मंदिर के सामने उद्यान
37	जोन कं. 01		वार्ड कं. 04 प्रियदर्शनी परि.पू. पत्रकार कालोनी उद्यान
38	जोन कं. 01		वार्ड कं. 06 प्रियदर्शनी परिसर त्रिकोणा उद्यान (अमृत मिशन)
39	जोन कं. 01		वार्ड कं. 06 शीतला मंदिर बाल उद्यान
40	जोन कं. 01		वार्ड कं. 07 नेहरू नगर मैत्री विहार उद्यान (अमृत मिशन)
41	जोन कं. 01		वार्ड कं. 08 बजरंग उद्यान कोहका
42	जोन कं. 01		वार्ड कं. 08 हाउसिंग बोर्ड कालोनी उद्यान कोहका
43	जोन कं. 01		वार्ड कं. 08 उल्लास नगर ई.डब्ल्यू.एस के सामने बाल उद्यान

44	जोन कं. 01	वार्ड कं. 09 एकता पार्क
45	जोन कं. 01	वार्ड कं. 09 बाल उद्यान कोहका
46	जोन कं. 01	वार्ड कं. 12 बाल उद्यान आकाशगंगा
47	जोन कं. 01	9 वार्ड कं. 16 एम.आई.जी. 2348 के समीप स्थित उद्यान
48	जोन कं. 01	नेहरू नगर चौक से टोल प्लाजा तक राशि उद्यान (ए)
49	जोन कं. 01	नेहरू नगर चौक से टोल प्लाजा तक खेल उद्यान (बी)
50	जोन कं. 01	नेहरू नगर चौक से टोल प्लाजा तक जीम उद्यान (सी)
51	जोन कं. 01	नेहरू नगर चौक से टोल प्लाजा तक योग उद्यान (डी)
52	जोन कं. 02	वार्ड कं. 10 श्वेताम्बर मंदिर रोड स्थित उद्यान
53	जोन कं. 02	वार्ड कं. 10 शांति नगर बाल उद्यान शांति नगर
54	जोन कं. 02	वार्ड कं. 13 जवाहर नगर बाल उद्यान
55	जोन कं. 02	वार्ड कं. 14 भागीरथी उद्यान
56	जोन कं. 02	वार्ड कं. 15 बाल उद्यान टंकी क्र.2 वैशाली नगर
57	जोन कं. 02	11 वार्ड कं. 15 बाल उद्यान टंकी क्र.3 वैशाली नगर
58	जोन कं. 02	वार्ड कं. 15 लोकागंन उद्यान वैशाली नगर
59	जोन कं. 02	वार्ड कं. 16 कुरुद उद्यान का विकास कार्य (अमृत मिशन)
60	जोन कं. 02	वार्ड क्र. 19 अर्जुन नगर दशहरा मैदान के पास उद्यान
61	जोन कं. 02	वार्ड कं. 26 हा.बो. 32 एकड़ कालोनी में उद्यान
62	जोन कं. 02	वार्ड कं. 26 हा.बोर्ड में उद्यान पूर्व महापौर निवास के सामने
63	जोन कं. 03	वार्ड कं. 20 मयूर उद्यान
64	जोन कं. 03	वार्ड कं. 21 जयंती उद्यान बैकुण्ठधाम
65	जोन कं. 03	वार्ड कं. 22 टाटा लाईन मे विकास कार्य (अमृत मिशन)
66	जोन कं. 03	वार्ड कं. 38 सेक्टर 01 सड़क 08 एवं 10 के मध्य उद्यान
67	जोन कं. 03	9 वार्ड कं. 39 सेक्टर 02 में विवेकानंद स्कूल के पास
68	जोन कं. 03	वार्ड कं. 41 सेक्टर 03 में उद्यान विकास कार्य
69	जोन कं. 03	वार्ड कं. 47 सेक्टर 01 सड़क 14 बी.एस.पी. हायर सेकण्ड्री स्कूल के सामने बाल उद्यान
70	जोन कं. 03	वार्ड कं. 48 सेक्टर 01 सड़क 35 एवं 36 के मध्य एवं 31
71	जोन कं. 03	वार्ड कं. 49 सेक्टर 02 सड़क 16 पूर्व रिक्त मैदान में
72	जोन कं. 04	वार्ड कं. 28 मुक्तिधाम खुर्सीपार उद्यान छावनी
73	जोन कं. 04	वार्ड कं. 38 पंडित दीनदयान पुरम आवासीय योजना मंगल भवन के पास उद्यान
74	जोन कं. 04	वार्ड कं. 30 मिलावट पारा स्थित कृष्णा पार्क
75	जोन कं. 04	6 वार्ड कं. 29 बापू नगर गार्डन (अमृत मिशन)
76	जोन कं. 04	वार्ड क्र. 32 में स्थित अण्डा चौक उद्यान
77	जोन कं. 04	वार्ड क्र. 28 में स्थित पिक उद्यान
78	जोन कं. 05	वार्ड कं. 70 हुड़को भारत माता बाल उद्यान
79	जोन कं. 05	वार्ड कं. 69 हुड़को एम.आई.जी.199 के सामने स्थित परी उद्यान
80	जोन कं. 05	वार्ड 70 हुड़को नेशनल पार्क उद्यान
81	जोन कं. 05	6 वार्ड 69 एम.आई.जी.-2/316 के मिलन चौक के पास बाल उद्यान
82	जोन कं. 05	वार्ड क्र. 51 सेक्टर - 8 सड़क 9 एवं 10 के मध्य उद्यान
83	जोन कं. 05	वार्ड 57 हुड़को हैप्पी उद्यान
84	जोन कं. 05	वार्ड कं. 53 सेक्टर 05 सड़क 14 एवं 15 के मध्य बाल उद्यान
85	जोन कं. 05	वार्ड कं. 54 सेक्टर 05 एस.पी.ए. सड़क
86	जोन कं. 05	वार्ड कं. 54 सड़क 27 एवं 29 के मध्य बाल उद्यान
87	जोन कं. 05	वार्ड कं. 64 सेक्टर 10 सड़क 24 एवं 25 के मध्य बाल उद्यान
88	जोन कं. 05	वार्ड कं. 64 सेक्टर 10 सड़क 07 एवं 08 काफी हाउस के सामने
89	जोन कं. 05	वार्ड 53 सेक्टर 05 सड़क 06 के सामने बाल उद्यान
90	जोन कं. 05	वार्ड 65 सेक्टर 07 एवन्यु ए ओवरब्रिज के पास बाल उद्यान

91	जोन कं. 05	वार्ड 65 सेक्टर 07 सड़क 31 बी के पास बाल उद्यान
92	जोन कं. 05	वार्ड 57 सेक्टर 06 ई-मार्केट के पास बाल उद्यान
93	जोन कं. 05	वार्ड क्र. 66 सेक्टर 07 सड़क 09 एवं 10 के मध्य स्थित उद्यान
94	जोन कं. 05	वार्ड क्र. 64 सेक्टर 10 सड़क 20 के सामने उद्यान
95	जोन कं. 05	वार्ड 66 सेक्टर 07 तालाब उद्यान
96	जोन कं. 05	वार्ड 51 सेक्टर 04 पूर्व सड़क 07 एवं 08 के मध्य उद्यान
97	जोन कं. 05	वार्ड 52 सेक्टर 4 पश्चिम सड़क 29 एवं 30 के मध्य पोस्ट आफिस उद्यान
98	जोन कं. 05	वार्ड 53 सेक्टर 5 पूर्व सड़क 12 एवं 13 के मध्य उद्यान
99	जोन कं. 05	वार्ड 45 सेक्टर 5 पश्चिम सड़क 41 एवं 42 के मध्य उद्यान
100	जोन कं. 05	वार्ड 55 सेक्टर 6 सी मार्केट में उद्यान निर्माण
101	जोन कं. 05	वार्ड 57 सेक्टर 06 स्टेट बैंक कालोनी के दक्षिण
102	जोन कं. 05	वार्ड 57 सेक्टर 6 पूर्व सड़क 35 एवं 36 के मध्य उद्यान
103	जोन कं. 05	वार्ड 66 सेक्टर 7 सड़क 33 के सामने पानी टंकी के
104	जोन कं. 05	वार्ड 68 हास्पिटल सेक्टर सड़क 09 एवं 10 के मध्य
105	जोन कं. 05	वार्ड 68 में उद्यान निर्माण (सी 3 मैदान गोल मार्केट)
106	जोन कं. 05	वार्ड 64 सेक्टर 10 सड़क 24 एवं 25 के सामने उद्यान
107	जोन कं. 05	वार्ड क्र. 67 दुर्गा मैदान के सामने उद्यान विकास कार्य

24